राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः-9(7)राज-6/2010/31   जयपुर दिनांकः- 22/10/2010

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम, संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 उपधारा (1) सपठित धारा 260 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) के लिए इस विभाग के आदेश क्रमांक 5(109)राज-ख/60 दि0 20.7.63 के अर्न्तगत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों जिनको प्रशासन गांवो के संग अभियान-2010 के लिए नियुक्त किया गया है, को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्द्वारा प्रदत्त की जाती है।

यह अधिसूचना दिनांक 10.11.2010 से 31.12.2010 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नरेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख सचिव , माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, समस्त माननीय मंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक इन्फ्रा।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. निबधंक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
11. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दि0 22/10/10 में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
13. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. अतिरिक्त निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर (वित्त एवं लेखा)।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव